राजस्थान सरकार
प्रशासनिक सुधार विभाग
(ग्रुप–3)

क्रमांकः प.6(57)/प्र.सु./अनु.3/2004/2 जयपुर, दिनांकः 09.11.2009

इस विभाग के समसंख्यक आदेश दिनांक 30.10.2004 एवं 15.02.2007 द्वारा गठित परियोजना ई–प्रशासन लक्ष्य दल (Project e-Governance Mission Team) का निम्नानुसार पुर्नगठन एतद् द्वारा किये जाने की स्वीकृति राज्यपाल मदोदय द्वारा प्रदान की जाती है।

1.	संबंधित विभागो के प्रमुख शासन सचिव/सचिव	अध्यक्ष
2.	संबंधित विभाग के विभागाध्यक्ष	सदस्य
3.	संबंधित विभाग में पद स्थापित लेखा सेवा का वरिष्ठतम अधिकारी	सदस्य
4.	विभाग में पद स्थापित एनालिस्ट–कम–प्रोग्रामर / प्रोग्रामर अथवा सूचना प्रौद्योगिकी एवं संचार विभाग के संबंधित अन्य अधिकारी	सदस्य
5.	राज्य सूचना अधिकारी (State Informatics Officer) नेशनल इनफोरमेटिक सेन्टर (एन. आई.सी.)	सदस्य
6.	सूचना प्रौद्योगिकी एवं संचार विभाग के परिपेक्ष्य में अतिरिक्त निदेशक एवं अन्य विभागों के सन्दर्भ में विभागाध्यक्ष से निचले स्तर का संबंधित विभाग का शीर्ष अधिकारी	सदस्य सचिव

विभागों के अन्तर्गत उक्तानुसार गठित किये जाने वाले परियोजना ई–प्रशासन लक्ष्य दल (Project e-Governance Mission Team) द्वारा निम्नांकित कार्य सम्पादित किये जायेगेंः–

1 विभागीय स्तर पर पूर्णतया कम्प्यूटरीकृत की जा सकने वाली नागरिकोन्मुखी /व्यापारोन्मुखी सेवाओं/ गतिविधियों का निर्धारण एवं प्रारंभिक परियोजना रिर्पोट तैयार करना।
2 विभागीय स्तर पर पूर्ण कम्प्यूटरीकरण की परियोजना में Business process Reengineering/ Government Process Reengineering and Change Management की आवश्यकताओं का निर्धारण अवश्य रूप से चिन्हित किया जाना।
3 विभागीय परियोजनाओं का निर्धारित मापदण्डों के अनुसार सूचना प्रौद्योगिकी एवं संचार विभाग से अनुमोदन करवाना।
4 कार्य योजना एवं निपुणता निर्धारण को अन्तिम रूप देना ।
5 विभागीय परियोजना के लिए परामर्शदाता करने के लिए आवश्यक निविदा तैयार करना।
6 विभागीय परियोजना के लिए निर्धारित मापदण्डो के अनुसार विस्तृत परियोजना रिर्पोट तैयार करना एवं सक्षम स्तर से विस्तृत परियोजना का अनुमोदन करवाना।
7 परियोजना प्रबन्धन एवं कार्य निर्धारण करना।

इस परियोजना के तहत गठित किये गये ई–प्रशासन लक्ष्य दल के प्रयोजनार्थ सूचना प्रौद्योगिकी और संचार विभाग प्रशासनिक विभाग होगा।

आज्ञा से,

9.11.09
शासन उप सचिव

प्रतिलिपि निम्नलिखित को प्रशासनिक विभाग के माध्यम से सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित हैः—

1. अतिरिक्त मुख्य सचिव, महामहिम राज्यपाल महोदय, राजस्थान, जयपुर
2. प्रमुख सचिव, माननीय मुख्यमंत्री महोदय, राजस्थान, जयपुर
3. निजी सचिव, मुख्य सचिव महोदय, राजस्थान, जयपुर
4. समस्त प्रमुख शासन सचिवगण, राजस्थान, जयपुर
5. शासन सचिव, सूचना प्रौद्योगिकी और संचार विभाग, राजस्थान, जयपुर
6.. सचिव, संचार एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय, भारत सरकार, इलेक्ट्रानिक निकेतन, नई दिल्ली
7. समस्त संभागीय आयुक्त
8. समस्त शासन सचिवगण, राजस्थान, जयपुर
9. समस्त विभागाध्यक्ष, राजस्थान, जयपुर
10. समस्त जिला कलैक्टर, राजस्थान, जयपुर
11.. उपशासन सचिव, आयोजना विभाग, राजस्थान, जयपुर
12. उपशासन सचिव, वित्त (व्यय–I, II, III एवं IV)
13. राज्य सूचना अधिकारी (State Informatics Officer), नेशनल इनफोरमेटिक सेन्टर (एन.आई.सी), राजस्थान, जयपुर
14. आयुक्त, सूचना प्रौद्योगिकी एवं संचार विभाग, राजस्थान, जयपुर को आज्ञा की अतिरिक्त प्रतियां संबंधित सदस्यों हेतु प्रेषित है।
15. रक्षित पत्रावली

अनुभागाधिकारी